



DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together
And Achive Dream
Together

Dr Surendra Dhiwa

Educator

(Law | Public administration and management)

(Polity and IR | Audit and Accounting)




✓
धारा 193 → भरणों की सतह → कोई व्यक्ति ऐसी सतह से नीचे भरण नहीं बनाएगा जिसे उसका जल निकास सार्वजनिक नाली में न हो सके।

✓
धारा 194 → समस्त प्रकार के भरणों के निर्माण से संबंधित उपबंध →

किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने वाला

व्यक्ति \rightarrow अपेक्षित दस्तावेजों के साथ नगरपालिका को आवेदन करेगा।



निम्न दस्तावेज \rightarrow

(i) भूमि भवन के टुकड़े सम्पर्क में लगी दस्तावेजों
अज्ञात + अविवादित टुकड़ा का शपथ पत्र

(ii) विहित रीति में जमा होना की रसीद

(iii) नक्शे (अलग-2 रंगों में) + site plan (स्थल योजना)
की 6 copy

→ आवेदन की तारीख को Legal possession आवश्यक है।

→ इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी दस्तावेज सौंपे जा सकते हैं।

आवेदन के पर्याप्त → नगरपालिका दो माह की
कालावधि के भीतर आवेदन का
विनिश्चय करेगी तथा लिखित आदेश
से सूचित करेगी।

असफल रहने पर → आवेदक, नगरपालिका
को इस आशय का 1 माह का स्पष्ट नोटिस
देगा ⇒ अनुज्ञा समझते हुए निर्माण कार्य
प्रारंभ कर सकेगा।

धरि
अधिकारी जानबूझ कर निर्धारित कालावधि में
निर्धारण नहीं करता है तो वह व्यक्तिगत रूप
से उत्तरदायी होगा तथा दोषसिद्धि पर 1 माह
तक जेल (या) जुर्माना 5000-10000 के बीच (या)
दोनों ची होसकता।

जहाँ आवेदन किसी बहुमंजिला ईमारत / मकान / 15 मीटर
से अधिक ऊँचाई वाला / 500 वर्ग मीटर से अधिक के
क्षेत्र में कोई कॉम्प्लेक्स / व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स से संबंधित
मंजूरी देनी होगी नगरपालिका मुख्यालय में से पहले
राज्य सरकार के क्षेत्रीय स्तर नियोजक से ललाह प्राप्त
करेगी।

लिखित अनुसूचा की विशेष स्थिति में

आवश्यकता नहीं \Rightarrow जहाँ पूरबकट्टी के क्षेत्र पर,
जो नगरपालिका की सुसंगत भवन निर्माण
विधियों में विहित किया गया है, पर निर्माण हेतु
आवेदन उत्तुत किया जाए।

→ Land Conversion + भवन निर्माण आस। X नगरपालिका
अनुसूचा उदात्त
नहीं होगी।

⇒ निर्माण पूर्ण होने के पश्चात भूमि/भवन का
← नामी अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन होगी।
(occupancy certificate)

इसके बिना अधिभोग होने पर 30000-50,000 रु.
जुर्माना + इसके पश्चात प्रतिदिन 500/-

अगर बिना आवेदन पत्रों के लिए निर्माण कार्य करें \Rightarrow जो दोष सिद्ध पर 1 माह से - 3 माह तक कारावास

(1)

₹ 10K - 50K तक जुर्माना

(2)

दोनों से दंडित किया

निर्माण की शर्तों के अंतर्गत पर \rightarrow 15-45 दिन जेल

या

10K - 20K जुर्माना
या दोनों

अगर आर्किटेक्चर/अभियंता के द्वारा हस्ताक्षरित नकरा।
विधिसंगत नहीं है तो दोषलिपि पर 1-2 माह कारावास

⊖

5K - 10K जुर्माना

दोष
लिपि

⊕

नगरपालिका काफ़ी सूची में शामिल

⊕

रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी।

→ 1945 → 2020

→ कतिपय क्षेत्रों में अनुसूचितों के विना भवन निर्माण प्रविष्टि करने की राज्य सरकार की शक्ति →

लोक हित में *

राज्य में अधिभूचना डर।

20,000 भूमि 1945 के विद्वत् कार्य पर *

धारा 195 → निवासियों के संगम उतरा अजर्मेन्ट

कॉम्लैग्लों का रखरखाव →
↓

अब निर्माता साथ ही कॉम्लैग्लों की रैकार्यो के स्वामियों
① का यह उत्तरदायित्व होता है कि कॉम्लैग्लों के रखरखाव
के लिए निवासियों का संगम तैयार करे।

② भवन निर्माता की अन्य जिम्मेदारियाँ →



(i) पार्किंग व अन्य सुविधाओं का ह्यॉर

(ii) विकास निधि का गान

(iii) संगम को निम्न दस्तावेज साँपेगा—

(a) निर्माण की प्रवृत्ता की मंजूरी वाला पत्र

(b) लिफ्ट, पल उदाय equipments, जेनरेटर आदि के दस्तावेजों की प्रति

(c) स्वामी के साथ करार की प्रति

|| (d) भवन में स्थापित मल बहन व जल उदाय
के डिजायन

→ उपरोक्त कार्य के पश्चात ही नगरपालिका पूर्णता प्रमाणपत्र
जारी करेगी।

धारा 196 → अनुसूचा तथा निर्माण की विशिष्टियों
(particulars) को प्रमुख रूप से प्रदर्शित

किया जाना →



4x4 फुट के बॉक्स पर

उत्पन्न पर जुर्माना ⇒ 50,000/- तक

धारा 197 ⇒ मासगत आवे के दौरान हॉटिंग लागता →
↓

पुर्जाता ⇒ 1000 - 2000 ₹
+ 50-100 ₹ | राशि

धारा 198 ⇒ सुख सुविधाओं (Amenities) के रखरखाव का
उत्तरदायित्व → नगरपालिका

धारा 199 ⇒ अन्य भीकरणों द्वारा विकसित
कॉलोनिओ का खोपड़ा गृहण किया जाता →

अध्याय - 12

अभिज्ञान तथा अपराध











THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

www.drgenius.academy.com

